PARAKH द्वारा देश के विभिन्न स्कूल बोर्ड में समानता के लिए पेश की गई समतुल्यता रिपोर्ट

हालिया संदर्भ :-

- हाल ही में NCERT (National Council of Educational Research and Training) की मानक निर्धारण निकाय PARAKH (परख) के विभिन्न स्कूल बोर्डों में समानता हासिल करने के लिए एक समतुल्यता रिपोर्ट सौंपी है।
- PARAKH द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) - 2020 के तहत शिक्षा मंत्रालय समतुल्यता रिपोर्ट की सिफारिश की गई है।

PARAKH (परख) क्या है ?

- PARAKH यानि (Performance Assessement, Review and Analysis of Knowledge of Holistic Development) समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) की स्थापना NCERT की अधिसूचना के अंतर्गत 8 फरवरी 2023 को की गई थी।
- PARAKH की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 के तहत छात्र मूल्यांकन से संबंधित मानदंड, मानक, दिशानिर्देश निर्धारित करने और गतिविधियों को लागू करना है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 के तहत गठित PARAKH निकाय स्कूल बोर्डों के बीच सर्वोत्तम क्रियान्वित गतिविधियों को साझा करने और सभी स्कूल बोर्डों में शिक्षार्थियों के बीच शैक्षणिक मानकों की समानता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करती है।

PARAKH के अंतर्गत आने वाली प्रमुख गतिविधियाँ

❖ योग्यता आधारित मूल्यांकन में क्षमता विकास

- PARAKH, "प्रोजेक्ट विद्यासागर" के अंतर्गत भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) - 2023 के तहत आधारभूत, प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर सीखने की दक्षताओं के प्रसार के लिए कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है।

❖ उपलब्धि सर्वेक्षण

- PARAKH के अंतर्गत शिक्षा की निगरानी और आकलन करने के लिए उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है।
- इसके तहत 3 मई 2023 को राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित किया गया जिसमें कक्षा 3, 6 और 9 के शिक्षार्थियों का आधारभूत साक्षरता, आधारभूत संख्यात्मकता, भाषा और गणित में दक्षताओं का आकलन किया गया।

❖ स्कूल बोर्डों की समतुल्यता

- PARAKH के अन्तर्गत सभी बोर्डों में परीक्षा सुधार से संबंधित सिफारिश विकसित करने के लिए सभी स्कूल शिक्षा बोर्डों के साथ काम कर रहा है।
- आधारभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक चरणों के लिए समग्र प्रगति कार्ड :
- PARAKH के तहत योग्यता आधारित शिक्षण के मूल्यांकन के लिए समग्र प्रगति कार्ड (HPC) जारी करने का काम कर रहा है ताकि मूल्यांकन को अधिक व्यापक और समग्र बनाया जा सके।

बोर्डों की समानता का तात्पर्य क्या है ?

- वर्तमान में कई स्कूल बोर्ड पाठ्यक्रम, संरचना, परीक्षाओं का स्तर, कार्यप्रणाली सहित कई मामलों में एक-दूसरे से भिन्न है, जिससे एक बोर्ड की दूसरे बोर्ड से तुलना करके बेहतर माना जाता है।
- वर्तमान में देश में कुल 69 स्कूल बोर्ड है, जिनमें राज्य स्कूल बोर्ड भी शामिल है।
- इन 69 स्कूल बोर्डों में कुछ केवल माध्यमिक बोर्ड है, कुछ उच्च माध्यमिक बोर्ड है जबकि कुछ बोर्ड माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए सामान्य है।
- सामान्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोर्ड के अन्तर्गत सीबीएसई (CBSE), आईसीएसई (ICSE), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) तकनीकी और व्यावसायिक बोर्ड, संस्कृत बोर्ड और मदरसा बोर्ड शामिल है।
- इन सभी स्कूल बोर्डों में समानता का तात्पर्य प्रशासन, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, समावेशिता और बुनियादी ढाँचे के तहत सभी स्कूल बोर्डों के लिए एक मानक निर्धारित करना है।
- स्कूल बोर्डों में समतुल्यता का मुख्य उद्देश्य किसी भी स्कूल बोर्ड में दाखिला लेने वाले शिक्षार्थी को प्रदर्शन के लिए मानकीकृत बेंचमार्क सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

PARAKH द्वारा बोर्डों की समतुल्यता के लिए सिफारिशें

❖ मूल्यांकन से संबंधित सिफारिशें

- PARAKH के अंतर्गत कक्षा-12 के अंतिम मूल्यांकन कक्षा- 9, 10, 11 में किए गए छात्रों के प्रदर्शन के रूप में करने की सिफारिश की गई है।
- इसके अंतर्गत कक्षा-12 के अंतिम रिपोर्ट कार्ड में कक्षा-9 के प्रदर्शन का 15 प्रतिशत, कक्षा 10 के प्रदर्शन का 20 प्रतिशत, कक्षा 11 के प्रदर्शन का 25 प्रतिशत तथा कक्षा-12 के प्रदर्शन का 40 प्रतिशत को शामिल करके शिक्षार्थियों का कक्षा-12 का अंतिम रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाने का प्रावधान करता है।
- इसके अलावा समग्र प्रगति कार्ड (HPC) के तहत मूल्यांकन मे प्रत्येक विषय के लिए ग्रेड में 'क्रेडिट' देने की सिफारिश की गई है।
- इसके तहत शिक्षार्थी द्वारा उनके विषयों में अर्जित 'ग्रेड क्रेडिट' का उपयोग शिक्षार्थी उससे संबंधित पाठ्यक्रमों एवं गतिविधियों को आगे बढाने के लिए उपयोग करेंगे।

❖ प्रश्न-पत्रों के मानकीकरण से संबंधित सिफारिशें :

- PARAKH के अंतर्गत कक्षा-9, 10, 11 और 12 के मूल्यांकन के लिए "पेशेवर प्रश्न-पत्र सेट्स" का एक कैडर विकसित करने की सिफारिश की गई है।
- इस कैडर को कक्षा -9, 10, 11 और 12 के प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- इसके तहत सभी बोर्ड कक्षा 9 और 11 के लिए सभी विषयों के लिए एक प्रश्न बैंक विकसित करेंगे।
- जबकि कक्षा 10 और 12 के लिए ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार करने का सुझाव दिया गया है।

❖ प्रशासन के संदर्भ में सिफारिश :

- PARAKH ने सभी स्कूल बोर्ड के प्रशासन के संबंध में बोर्ड द्वारा "स्कूल संबद्धता" के दिशा निर्देशों को शर्तों के अनुसार अंतिम रूप दिए जाने की सिफारिश की गई है।
- ज्ञातव्य हो कि प्रत्येक बोर्ड द्वारा किसी स्कूल को उससे संबद्धता स्थापित करने के लिए उस स्कूल को बोर्ड की विशिष्ट शर्तों एवं नियमों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।
- इस सिफारिश में कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल बोर्ड को अपने संबंधित स्कूलों की समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए एवं स्कूलों की संबद्धता की अवधि अधिकतम तीन वर्ष के लिए होनी चाहिये जिसे पुनः समीक्षा करके संबद्धता की अवधि को आगे बढाना चाहिये।
- वर्तमान में देश के कुछ राज्य ऐसे है, जहां स्कूलों को मान्यता देने का काम "शिक्षा निदेशालय" करते है। ऐसे में PARAKH ने यह सिफारिश की है कि बोर्ड को ऐसे गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाए।

Result Mitra

- परीक्षाओं से संबंधित धोखाधडी को रोकने के लिए एक तंत्र विकसित करने और परीक्षा पत्रों (Question paper)को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रोटोकॉल लागू करने तथा डिजिटल मूल्यांकन पद्धति अपनाने की सिफारिशें की गई है।

❖ पाठ्यक्रम से संबंधित सिफारिश

- पाठ्यक्रम से संबंधित सिफारिशों में कहा गया है कि सभी स्कूल बोर्ड अपने संबंधित स्कूलों में डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और साइबर सुरक्षा को अनिवार्य रूप से शामिल करने का काम करेंगे।

❖ बुनियादी ढांचे के संबंध में सिफारिश

- बुनियादी ढांचे से संबंधित सिफारिशों में कहा गया है कि सभी स्कूल बोर्ड अपने संबंधित स्कूलों के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
- जिसके तहत लडकों तथा लडकियों के लिए अलग शौचालय, इंटरनेट, पुस्तकालय, प्रश्न-पत्रों के लिए स्ट्रांगरूम, प्रयोगशालाएं, रैंप या लिफ्ट आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

सिफारिश का आधार :

- इस सिफारिशें के लिए PARAKH ने देश की कुल 69 स्कूल बोर्डों में से संस्कृत बोर्ड, मदरसों और तकनीकी बोर्ड को छोडकर कुल 32 स्कूल बोर्ड की वर्तमान प्रशासन, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, समावेशिता और बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन किया।
- इन सिफारिशों के लिए PARAKH ने सभी 32 स्कूल बोर्ड के साथ बैठकें की।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020

- जुलाई 2020 में भारत सरकार की केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को मंजूरी दी थी।
- इसी के तहत केन्द्रीय मंत्रीमंडल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर "शिक्षा मंत्रालय" कर दिया गया।
- भारत की स्वतंत्रता के बाद यह देश की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जबकि 21 वीं सदी की यह पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है।
- स्वतंत्र भारत में इससे पहले वर्ष 1968 और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी।
- जून 2017 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डॉ के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 तैयार के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

Result Mitra TM

- 31 मई 2019 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी।

✓

Result Mitra